न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 138/2017

प्रेम देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति गर्ग निवासी वार्ड नं. 10 गजसिंहपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. निशारानी पत्नी दीपक कुमार जाति गर्ग निवासी चक 6 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. अनु पुत्री दीपक कुमार अवयस्क जरिये माता निशारानी पत्नी दीपक कुमार जाति गर्ग निवासी 6 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर। — रेस्पॉडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 08.01.2014

उपस्थितिः—

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अजीत कुमार अभिभाषक रेस्पॉ.

श्री वेदप्रकाश राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष एक वाद रा.का.अ. की धारा 88, 91, 92 ए एवं 188 के तहत पेश किया। उक्त वाद में प्रतिवादी निशा ने दिनांक 03.04.2013 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी सपठित धारा 4 बेनामी व्यवहार (निषेध) अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादिया का यह वाद उसके अपने पुत्र दीपक कुमार के नाम से खरीद की गई बेनामी सम्पति के बारे में अपने अधिकारों की घोषणा बाबत है। बेनामी व्यवहार (निषेध) अधिनियम की धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

4 के अन्तर्गत ऐसा वाद विधि बाधित है और चलने योग्य नहीं है। इसलिए वादिया को वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

प्रतिवादीगण जबाव पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाव पेश कर कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा दावा एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर जिस पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने पश्चात ही वाद का निर्णय किया जाना सम्भव एवं न्यायोचित है। वाद कृषि भूमि से सम्बन्धित है एवं इसको सुनने का अधिकारी राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 08.01.2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद वादिया खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा पेश किया जा चुका था ऐसी स्थिति में वाद बिन्दु कायम कर उन पर पक्षकारों की साक्ष्य लेने के पश्चात ही वाद का निर्णय करना चाहिए था जो अधी. न्यायालय ने नहीं कर कानूनी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमांड किया जावे ।

विद्वान अभिभषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिया ने बैयनामा को बेनामी होने का कथन करते हुए दीपक कुमार के नाम से खरीदशुदा भूमि का वास्तविक मालिक होने के नाते वादिया को खातेदार मालिक घोषित करने का अनुतोष चाहा है। जबकि ऐसा अनुतोष राजस्व न्यायालय से नहीं दिया जा सकता । जबकि विवादित भूमि दीपक कुमार के नाम से पंजीकृत बैयनामा से क्रय की गई है। वादिया को किसी प्रकार का वादकरण प्राप्त नहीं है एवं ऐसे वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रतिवादी द्वारा प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11

राजस्व अपील अधिकारी

सीपीसी पेश करने पर अधी.न्यायालय ने स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रतिवादी निशा के पति दीपक कुमार द्वारा जरिये बैयनामा 11.03.2011 को विक्रेता राजेन्द्रपाल से नकद प्रतिफल का भुगतान कर खरीद की गई है। उक्त बैयनामा को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त कराया हो या चुनौती दी गई हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। बैयनामा से क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि पर सभी अधिकार क्रेता को प्राप्त हो जाते है। वादिया बैयनामा खरीद होने तथा बेनामी व्यवहार अधिनियम के आधार पर वादिया स्वयं को विवादित भूमि का खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी नहीं है। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद बेनामी व्यवहार (निषेध) अधिनियम की धारा 4 के तहत बाधित होने के कारण अधी. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर